



विवरणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका चतुर्थ संस्करण	5
2.	उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 यथा संशोधित 2002	7 - 12
3.	उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013	13 - 18
4.	The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Second Amendment) Rules 2013	19 - 23
5.	Property Tax self assessment form in respect of Non-residential buildings Form 'C'	24 - 25
6.	Property Tax assessment form in respect of Non-residential buildings Form 'D'	26 - 27
7.	कक्ष (वार्ड) वार निर्धारित मासिक किराया दरों की सूची (1.4.2010 से लागू)	28 - 37
8.	जोन के अन्तर्गत वार्डों की सूची	38
9.	आवासीय भवन एवं अनावासीय भवन के गृहकर (हाउस टैक्स) की गणना कैसे करें	39 - 41
10.	नगर निगम लखनऊ में नेट बैंकिंग तथा डेबिट / ए.टी.एम. कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन गृहकर भुगतान की प्रक्रिया	42
11.	नगर निगम सीमा में संचालित ई - सुविधा केन्द्रों की सूची जहाँ गृहकर जमा कराया जा सकता है।	43 - 44
12.	भवन के नामान्तरण (स्पूटेशन) की प्रक्रिया	45 - 46
13.	ऑन लाइन एकीकृत नियन्त्रण केन्द्र - जन शिकायतों के त्वरित निरस्तारण हेतु एकीकृत व्यवस्था	47
14.	लखनऊ सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट : शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु जन सहयोग आधारित पी.पी.पी. माडल	48
15.	आवासीय भवन के सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-क)	आवश्यकतानुसार इन प्रपत्रों को इस पुस्तिका से निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है।
16.	आवासीय भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल की सूचना देने हेतु प्रारूप (प्रपत्र-ख)	
17.	अनावासीय भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-ग)	
18.	अनावासीय भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-घ)	

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग-७
संख्या : 1435 / ९-९-२०००-६३-ज / ९५-टी.सी.
लखनऊ : दिनांक २९ अप्रैल, २०००
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-२ सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा-५४० की उपचारा (२) के अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-१७६३-नी-९-१९९९-६३-ज / ९५टी.सी. दिनांक १६.६.१९९९ के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 और 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000
(प्रथम संशोधन नियमावली 2002)

(नगर विकास अनुभाग-७ की अधिसूचना सं. यू.ओ. २०४ / ९-७-२००२-६३ज / ९५ टी.सी. दिनांक १० जनवरी, २००३ द्वारा संशोधित उ.प्र. नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन नियमावली 2002)
संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ-

1. (१) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली (प्रथम संशोधन 2002) कही जायेगी।
 (२) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों में स्थित भवनों पर लागू होगी।
 (३) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो,-
 (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है,
 (ख) "भवनों का समूह" का तात्पर्य नियम-४ के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है;
 (ग) "भू समूह" का तात्पर्य नियम-४ के अधीन उल्लिखित भूमि के समूह से है;
 (घ) "कच्चा भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन नहीं है;
 (छ) "अधिसूचित बैक" का तात्पर्य के साथ कर की धनराशि को जमा करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैक या बैकों से है;
 (च) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से है;
 (छ) "पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन जिसकी दीवार इंट या परथर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो, से है;
 (ज) "स्व-कर निर्धारण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यात्मी द्वारा इस नियमावली के संलग्न प्रपत्र "क" में दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।
 (झ) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 की उपचारा (१) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है।
 (झ) "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र से है।
 (ट) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

- (३) "मासिक किराया दर" का तात्पर्य नियम 4-ख के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा विहित, यथास्थिति, भवनों या भूमि के कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट से है।
- (४) "आवासीय भवन" का तात्पर्य उस भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और उसमें ऐसे भवन भी हैं जिनमें आवासीय उपयोग का प्राविधान हो, किन्तु इसमें व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिए होटल, लाज या फ़िरसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न होंगे।
3. भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण :
- (१) नगर आयुक्त समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये मुख्यत दायी स्थानी या अध्यासी से इन नियमावली में सलग्न प्रपत्र 'ख' में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उबल सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की आपेक्षा करेगा।
 - (२) नगर आयुक्त, सम्पत्ति के स्थानी या अध्यासी की सुनिधि के लिए प्रपत्र 'ख' में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वाड़ों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
 - (३) जब किसी स्थानी द्वारा रक्त-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्थानी के लिए प्रपत्र 'ख' में नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञाप्रक होगा।
 - (४) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समाप्त या अध्यासन के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्थानी या अध्यासी के लिए प्रपत्र 'ख' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञाप्रक होगा।
4. सम्पत्तियों का वर्गीकरण :
- (१) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थित का वार्ड वार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् :
 - (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 - (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 - (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग,
 - (२) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्ननिरिखित आधार पर करेगा-
 - (क) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित,
 - (ख) अन्य पक्का भवन, या
 - (ग) कठ्ठा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं हैं।
 - (३) नगर आयुक्त लद्दुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नी विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा :-
 - (क) भवन के मामले में निम्नलिखित नी समूह होंगे :-
 - (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।
 - (दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन, आरसीसी, छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पांच) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छ.) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे :-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

4-क न्यूनतम मासिक किराए की दर का निर्धारण :

नगर आयुक्त बाड़ के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति, भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट ऐरिया के प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा-

(एक) नारतीय स्टान्ड अधिनियम, 1899 को प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित शक्तिल दर, और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियों दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर बार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियों रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों को बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

कारपेट ऐरिया के नियारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट ऐरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी जबकि स्वकर नियारण के लिए माना जायेगा।

4-ख न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन:

खण्ड-4 के अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर नगर आयुक्त ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, यथास्थिति, बाड़ के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट ऐरिया के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

4-ग कर का नियारण :-

कर का नियारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा-

(1) वार्षिक मूल्य की गणना

वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12 वर्ष

- आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12 × 80%
- (2) देय कर :- अधिनियम की धारा 149 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देय होगी।
 - (3) छूट :- अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार वार्षिक मूल्याकान तथा देयकर में छूट अनुमत्य होगी।
 - (4) स्वनिर्धारण :- आणारीय भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मूख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस पर नियमावली के प्रपत्र-क में सम्पत्ति का विवरण अकिता करते हुए नगर आयुक्त हारा निर्धारित बैंक में नियम 3 (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र का और वालान के साथ कर जाए करेगा।
 - (5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध :- उननियम (4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण हारा सम्पत्ति करों के नायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।
5. कर निर्धारण सूची :-
- (1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर-गणना के पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी :-
 - (क) भूमि या भवन के स्वामी या अध्यारी हारा प्राप्त क और यह पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर, या
 - (ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र क या ख में सूचनाये न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी हारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर,
 - (ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-
 - (एक) सड़क या नोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम;
 - (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट हारा, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अधिकार;
 - (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी हारा अध्यासित है या किराये पर है। यदि कराये पर है तो किरायेदार का नाम;
 - (चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर;
 - (पांच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों;
 - (छ.) (चार) भवन निर्माण का वर्ष;
 - (सात) भवन निर्माण की प्रकृति;
- (2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची:- ऐसे सभी आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र क पर तात्पर्य से स्वनिर्धारित कर जाए करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम 5-क के प्राविधान ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।
- प्रतिवर्ष यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि गोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में विशिष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण

बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

5-क सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति :-

- (1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब नगर आयुक्त उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहाँ उक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। नगर में परिवालन वाले दो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा।
- (2) भवन के कारपेट ऐरिया, आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविटियों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त को सम्बोधित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। किराये की मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर धिक्कार नहीं किया जायेगा।
- (3) नगर आयुक्त या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आपत्ति कर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आपत्तियों का निरापरण दरेगा।

6. करों का भुगतान :-

नगर आयुक्त या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम 4, 4-ग और 5 के अधीन निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु रखानी या अद्यासी को बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा। जब तक नगर आयुक्त हारा अधिसूचित वैक या नगर निगम के कार्यालय में कर का भुगतान किया जायेगा। यदि नियत दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की घारा 221-के अनुसार व्याज देय होगा।

परन्तु यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वकर निर्धारण किया गया है तो कर का भुगतान सार्वजनिक सूचना हारा निर्धारित तिथि तक किया जायेगा।

7. कर का स्वनिर्धारण :-

किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अद्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके हारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित वैक में जमा कर सकता है।

8. शास्ति

- (1) नगर आयुक्त यथारिति भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट ऐरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम इस प्रतीक्षित विवरणों की यदा-कदा जांच करायेगा और भवन के कारपेट ऐरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति स्वामी या अद्यासी को इस आशय का दो सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को अद्यासी को इस आशय का दो सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को अनुधिक की शास्ति अधिरोपित की जाये।
- (2) यथारिति, स्वामी या अद्यासी हारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जींच जैसी आवश्यक समझी जाये करने के पश्चात् नगर आयुक्त या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे बसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।
- (3) नियम-3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण न प्रस्तुत किये जाने की दशा में नगर आयुक्त या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रश्नगत भूखण्ड के क्षेत्रफल, 50 वर्ग मी. तक, 200 वर्ग मी. तक, 400 वर्ग

भी, तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100.00 रुपये, 1000.00 रुपये, 5000.00 रुपये तथा 15000.00 रुपये हो सकती है परन्तु 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

नियत समय के भीतर विवरण प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, नियम- 5 के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम 4-के अधीन प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल दर का उपयोग भी शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

- (4) किसी व्यक्ति द्वारा नियम 3 के उपनियम (4) का उल्लंघन करने की दशा में सम्पत्ति कर की दुगनी धनराशि अथवा प्रतिदिन 500 रुपये की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

9. शास्ति का प्रशमन :-

नियम 8 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन शास्तियों का प्रशमन नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शस्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

(प्रपत्र 'क' तथा 'ख' पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं)

उत्तर प्रदेश शासन
 नगर विकास अनुभाग-९
 संख्या-1463 / ९-९-२०१०-८५ज / २००५ टी.सी.
 लखनऊ: दिनांक २७ दिसम्बर, २०१३

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 207-ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, और 221-ख के अधीन शवित का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन यथा अपेक्षित जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 1231 / ९-९-२०१०-८५ज / २००९ टी.सी. दिनांक ०८ जून, २०१० के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

तक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

१. (१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 कही जायगी।
- (२) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।
- (३) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम -२ का संशोधन

- (२) उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम - २ में खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्-
- (घ-१) "अनावासिक भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भवन या उसके भाग से है जो अनावासिक हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन आच्छादित हो।

नियम -३

किसी भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण-

- ३-(१) नगर आयुक्त समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में सलग्न प्रपत्र "ख" और प्रपत्र "घ" में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र और अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के सबध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
- (२) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सविधा के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
- (३) जब कभी स्वामी हारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाए या इसके विफरीत हो, तो ऐसा होने के सात दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।
- (४) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप, आच्छादित क्षेत्रफल में २५ प्रतिशत या अधिक

की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्थापी या अध्यासी के लिए प्रपत्र 'ख' और 'घ' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नियम -4

(4) सम्पत्ति का वर्गीकरण-

- (1) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का बार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्
- (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,
- (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग,
- (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग.
- (2) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा-
- (क) पवका भवन आर.री.सी. छत या आर.बी. छत सहित,
- (ख) कोई अन्य पवका, या
- (ग) कच्चा भवन अर्थात्, समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं हैं।
- (3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नीचे विभिन्न समूहों की अधिकतम रान्धा में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा-
- (क) भवन के मामले में निम्नलिखित नीचे समूह होंगे-
- (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पवका भवन।
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पवका भवन।
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पवका भवन।
- (चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (छ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पवका भवन।
- (सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे,
- (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

नियम-4-क

4-क-न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण -

(1) नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन के रूप में दर नियत करेगा-

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को

ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियों दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह बिन्न-बिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियों रहेंगी। सभी आपत्तियों का निरस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम बस प्रतिशत व्यक्तियों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय

स्पष्टीकरण- (1) कारपेट एरिया के निवासिण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कारपेट एरिया की दर आच्छादित एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणाक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है-

(अनुसूची अगले पृष्ठ पर है)

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मारिक किराये की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन टावर तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग, और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
2.	प्रत्येक प्रकार के वलीनिक, पालीकलीनिक, डायग्नोस्टिक, केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय, मैडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचयां केन्द्र आदि	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
3.	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का दो गुना
4.	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
5.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
6.	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, बासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिश भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना
7.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, खिलाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
8.	आईयोगिक इकाइयाँ, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
9.	टावर और होल्डिंग बाले भवन, टी.वी.टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का चार गुना
10.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

नियम 4 ग

4-ग- कर निर्धारण- कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा-

(1)(क) (एक) आवासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना-कारपेट एरिया \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर $\times 12$

या

आच्छादित क्षेत्रफल \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर $\times 12 \times 80$ प्रतिशत।

(दो) आवासिक भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना-

भूमि का क्षेत्रफल \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया $\times 12$

(ख) (एक) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना-

आच्छादित क्षेत्रफल \times आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर $\times 12$

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना-

भूमि का क्षेत्रफल \times आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर $\times 12$

(2) सदेय कर- अधिनियम की धारा 148 के अधीन नियत दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर सदेय होंगे।

(3) छूट- आवासिक भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट अनुमन्य होगी और अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार कर सदेय होंगे।

(4) स्वनिर्धारण-भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के यथास्थिति प्रपञ्च 'क' या प्रपञ्च 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित इंक में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक यथास्थिति प्रपञ्च 'क' या 'ग' और चालान के साथ कर जमा करेगा।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध- उपनियम(4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पत्ति करों के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रोत्साहन- अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में छूट प्रदान करते हुए निन्नलिखित रीति से प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) दिया जा सकेगा :

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचलन में हो या कम से कम क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुद्रित या पर्याप्त पानींग स्थान उपलब्ध हो या व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो परन्तु प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हों, वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रत्येक को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा;

परन्तु यह कि उपर्युक्त छूट इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करते हुए वर्णनुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।

- (ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि इस भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय न उपलब्ध कराये गये हों।

नियम 5- कर निर्धारण सूची-

- (1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी-
- (क) भवन और भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख' और 'घ' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर या
- (ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथास्थिति 'क' या 'ख' या 'घ' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर,
- (ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-
- (एक) सड़क या भौहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,
- (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो सम्पत्ति का अभिधान,
- (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए की यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,
- (चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर,
- (पाँच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,
- (छ.) भवन निर्माण का वर्ष,
- (सात) भवन निर्माण की प्रकृति,
- (2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची- ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'क' पर और अनावासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'ग' पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम-5-के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरावृत्ति किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

नियम- 7 स्वकर निर्धारण- किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अध्यारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

नये प्रपत्र 'ग' और 'घ' का बढ़ाया जाना

8- उक्त नियमादली में प्रपत्र 'ख' के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् -

प्रपत्र 'ग' एवं प्रपत्र 'घ' (पुरितका के अन्त में संलग्न हैं)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1463/IX-9-2013-85J-05T.C., dated December 27, 2013 for general information:

No. 1463/IX-9-2013-85J-05T.C.

Dated Lucknow, December 27, 2013

In exercise of the powers under section 174, 207-A, 207-B, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 and 221-B of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act No. 2 of 1959), the Governor after considering the objections and suggestions received in pursuance of Government notification No. 1231/IX-9-2010-85J-2009T.C., dated June 08, 2010) issued as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act is please to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000.

**THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX)
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2013**

- | | |
|---|---|
| 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Second Amendment) Rules, 2013. | Short title,
application and
commencement |
| (2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations in Uttar Pradesh. | Amendment of
Rule - 2 |
| (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the <i>Gazette</i> . | |
| 2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules 2000, hereinafter referred to as the said rules, in rule 2 after clause (d), the following clause shall be inserted, namely- | |
| (d-1) "Non residential building" means any building or space or land or house or part thereof which is not residential and which is covered under clause (1) of sub-section (a) of section 174 of the Act. | |
| 3. Statement of carpet and other area of a building or the plot of the land- | |
| (1) The Municipal Commissioner shall publish in the newspapers a notice requiring the owners or occupiers primarily liable for payment of property taxes, to furnish every four years a statement, in Form 'B' and Form 'D' appended to these rules, in respect of the carpet and other area of a residential building, or the plot of the land and covered area of non residential building or area of land, as the case may be, by the date fixed in the said notice for the purpose of tax assessment. | |
| (2) Municipal Commissioner may, for the convenience of the owner or occupier of the property, fix different places for different wards of the city for the submission of statement in Form 'B' and Form 'D' | |
| (3) Whenever owner occupied or vacant building is given on rent or vice-versa, then within sixty days of it, it shall be mandatory for the owner to submit a fresh statement in Form 'B' and Form 'D'. | |
| (4) Whenever due to construction or reconstruction or any addition is done 25 per cent or more in the covered area of building or area of the land or both then within sixty days of completion or occupation, it shall be mandatory for the owner or occupier, as the case may be to submit a fresh statement in Form 'B' and Form 'D' | |

4- Classification of Property-

- (1) Municipal Commissioner shall classify the **location of property** falling within the provisions of section 174 of the Act, wardwise and thereafter within each ward, it shall be classified basing on the situation of property on **three different types of roads**, namely-
 - (a) Roads having a width of more than 24 metres,
 - (b) Roads having a width of 12 metres to 24 metres.
 - (c) Roads having a width less than 12 metres.
- (2) Municipal Commissioner shall classify the **nature of construction** of buildings falling, within the provisions of section 174 of the Act, on the following basis-
 - (a) pakka building with R.C.C. roof or R.B. Roof;
 - (b) another pakka building; or
 - (c) Kachcha building that is all other building not covered in clauses (a) and (b).
- (3) Municipal Commissioner shall accordingly arrange all **buildings** in a ward in maximum number of **nine different groups** and in case of all vacant plots of land, in maximum number of three different groups as shown below-
 - (a) in case of building, the nine groups shall be as follows-
 - (i) pakka building with R.C.C. roof or R.B. roof situated on a road having a width of more than 24 metres,
 - (ii) pakka building with R.C.C. roof or R.B. roof situated on a road having a width of 12 meters to 24 metres,
 - (iii) pakka building with R.C.C. roof or R.B. roof situated on a road having a width less than 12 metres,
 - (iv) other pakka building situated on a road having a width of more than 24 metres,
 - (v) other pakka building situated on a road having a width of 12 meters to 24 metres,
 - (vi) other pakka building situated on a road having a width less than 12 metres,
 - (vii) kachcha building situated on a road having a width of more than 24 metres,
 - (viii) kachcha building situated on a road having a width of 12 metres to 24 metres,
 - (ix) kachcha building situated on a road having a width less than 12 metres.
 - (b) In case of land, the three groups will be as follows-
 - (i) Land situated on a road having a width of more than 24 metres,
 - (ii) Land situated on a road having a width of 12 metres to 24 metres,
 - (iii) Land situated on a road having a width less than 12 metres.

4-A Fixation of minimum monthly rate of rent-

- (1) The Municipal Commissioner shall once in every two years workout the minimum monthly rate of rent per unit area (square foot) of the carpet area for every group of building within a ward or the applicable minimum monthly rate of rent per unit area (square foot) of the area for every group of land as the case may be and fix the rate as residential building having regard to-
 - (i) the circle rate fixed by the Collector for purposes of the Indian Stamp Act, 1899; and
 - (ii) the current minimum rate of rent in the area for such building or land.

Provided that before fixing such monthly rate of rent, the Municipal Commissioner shall notify such proposed rates in two daily newspapers having circulation in such city and thereafter provide a minimum fifteen days time for filing objections by interested persons. All such objections shall be heard wardwise after grouping the objections received in

maximum number of 12 different bunches. Each bunch shall contain the objections received from one group of building or one group of land as the case may be. All objection shall be disposed of by the Municipal Commissioner himself or officer authorised by Municipal Commissioner in this behalf after giving the opportunity of being heard to at least ten per cent of the total number of objection. It shall not be necessary to hear personally all the objectors or the interested persons. The objections may be decided in bunches.

Explanation- (1) Keeping in view of difficulties in fixation of carpet areas, the rate of the carpet area would be 80% of covered area for purposes of self-assessment.

✓ (2) In the case of non residential buildings and the land the monthly rate of rent per unit area of covered area and the land shall be multiple of the monthly rate of rent fixed under sub rule (1) as mentioned in the schedule below :-

SCHEDULE

Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non residential building
1.	Every type of commercial complexes, shops and other establishments, banks, offices, hotels, hotels upto three stars, private hotels coaching and training institutes (except state Government aided)	Five times of the rate fixed under sub rule (1)
2.	Every type of clinics, polyclinics, diagnostic centres, laboratories, nursing homes, hospitals, medical stores, health care centres etc.	Three times of the rate fixed under sub Rule (1)
3.	Sports centres as gym, physical health centres, etc. and theaters and cinema houses	Two times of the rate fixed under sub rule (1)
4.	Hostels, educational institutes which are not covered under clause (c) of section 177 of the Act	Same as fixed under sub rule (1)
5.	Petrol pumps, gas agencies, depots and godowns etc.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)
6.	Malls, Hotels of four stars and above, pubs, bars, lodging house where wine is served with food.	Six Times of the rate fixed under sub rule (1)
7.	Community halls, kalyan mandaps, marriage houses, clubs and same types of buildings.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)
8.	Industrial units, offices of Govt., Semi Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub rule (1)
9.	Building having towers and hoarding, T.V. towers, telecom towers or any other tower which are installed either on the surface or on the top of the buildings or on the open space.	Four times of the rate fixed under sub rule (1)
10.	Other types of non residential houses which are not mentioned in above categories.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)

4-C Tax Assessment - The assessment of tax shall be made on the basis mentioned here under -

- (1) (a) (i) Calculation of Annual Value of residential building- Carpet area X fixed per unit area monthly rate of rent X 12 or
Covered area X fixed per unit area monthly rate of rent X 12X80%
(ii) Calculation of Annual Value of residential land-
Area of land X fixed per unit area monthly rate of rent X 12
 - (b) (i) Calculation of Annual Value of non residential buildings-
covered area x monthly rate of rent per unit area fixed on the basis of the multiplier in relation with the rate of residential building X12
(ii) calculation of annual value of non residential lands-
Area of land X monthly rate of rent per unit area fixed on the basis of the multiplier in relation with the rate of residential building X12
 - (2) **Payable tax-** Taxes would be payable in accordance with the rates fixed under Section 148 of the Act on the basis of annual value.
 - (3) **Rebates-** rebates shall be admissible in annual value of residential buildings and taxes shall be payable in accordance with the provisions prescribed in the Act.
 - (4) **Self-Assessment-** The person who holds the primary liability of paying the property tax of building or other liable person shall deposit the tax fixing in accordance with the provisions of Rule 4 and Rule 4-C and giving the details of the property in Form 'A' or Form 'C', as the case may be, of the rules in place of returns required in Rule 3 in the Banks prescribed by Municipal Commissioner up to the date fixed under sub rule (1) of rule 3 with Form 'A' or Form 'C', as the case may be, and challan.
 - (5) **Special provisions In Self-Assessment-** The pay liability of property taxes by self-assessment up to the fixed date under sub-rule(4) shall not be more than previous year to the extent as may be prescribed by the Government from time to time.
 - (6) **Incentive-** Incentive to the owners or occupiers of non residential buildings may be provided by giving rebates in the annual value of the building or land as the case may be in the following manner;
 - (a) Building in which the system of rain water harvesting or ground water recharging is installed and operational provided or at least 40% of the area is covered by the plantation and greenery or proper and adequate parking lots are available or if engaged in trade or manufacture or any activity which causes pollution, but effective anti pollution measure have been adopted, shall be provided incentive to each by giving rebate of 2% in its annual value.
Provided that the above rebates shall be granted on year to year basis after verifying the existence and proper up keep of the facilities and measures mentioned under this clause,
 - (b) Annual value of such building as mentioned in Clause (a) shall be increased by 2% if this building does not provide measure mentioned in Clause (a).
- 5- Assessment list-** (1) The assessment list in respect of all the buildings or the plots or both shall be prepared after calculating the tax on the basis of:-
- (a) details submitted in Form 'A', Form 'B', Form 'C' and Form 'D' by the owners or occupiers of the buildings and the lands; or
 - (b) information collected by the Municipal Commissioner or and officer authorised by him in this behalf where information in Form 'A' or Form 'B' or Form 'C' or Form 'D', as the case may be, are not submitted within the fixed time;

- (C) The assessment list shall contain-
- (i) name of road and mohallah in which property situates.
 - (ii) Designation of the property by name, by number or by any other specification sufficient for identification.
 - (iii) Name of the owner; whether it is owner-occupied or on rent. If on rent, the name of the tenant.
 - (iv) the carpet area base and covered area base, the minimum monthly rate of rent per square foot for the group of the building or land.
 - (v) Carpet area or covered area of the building or the area of the land or both.
 - (vi) Year of construction of building.
 - (vii) nature of construction of the building.
2. **List regarding self-assessment-** The residential buildings for which self-assessed taxes with Form 'A' and the non residential building for which self assessed taxes with Form 'C' have been submitted within prescribed period shall be entered in assessment list prepared in sub-rule (1) but the provisions of Rule 5-A shall not be applicable on such building.
- Provided that on the basis of any complaint or enquiry, if any detail is found incorrect, the details entered in the list and tax assessment therein shall be revised and penalty shall be imposed after show cause notice.
7. **Self-Assessment of tax-** The owner or occupier primarily liable for payment of tax in respect of a building or land or both may himself determine the property tax in accordance with the provisions of the Act and deposit the property tax so assessed by him in the notified bank together with a statement of self-assessment.
9. In the said rule, after Form 'B' the following Forms shall be inserted :- Form 'C' and 'D' (for non residential buildings.)



Nagar Nigam, Lucknow

Form 'C' (See rule -7)

Property Tax self assessment form In respect of Non-residential buildings

1. Details of owner/occupier-

- (i) Name of owner/occupier.....
- (ii) Father's/Husband's name of owner/occupier-
- (iii) **Building/ House / Plot No. and locational address:**
House/Plot No.Name of street
Name of Mohalla.....Name of ward
- (iv) Address of the residence of owner/occupier (if different from above).....
- (v) Other details, if any
- (vi) If a building or land is on rent, mention the name of the tenant.....

2. Details of building or land-

- (i) Covered area of the building (In square foot).....
- (ii) Area of open land or plot (in square foot)
- (iii) **Popular name of Non residential building:**
Establishment /Office / Institute.....

3. Details of location-

(a) Building or land is located-

- (i) On road having a width more than 24 metres
- (ii) On road having a width of 12 metres to 24 metres
- (iii) On road having a width less than 12 metres

(b) Nature of construction of building-

- (i) Pucca building with R.C.C. roof or R.B. roof
- (ii) Other pucca building, asbestos, fibre or tin shed
- (iii) Katcha Building i.e. all other buildings not covered in (i) and (ii)

Note - Please tick (✓) in the box applicable:

4. Year of construction of building.....

5. Previous assessed Annual Value and years of the assessment.....

6. Calculation of Non residential Annual Value-

Usage/Description of Non Residential Building.....

(a) Annual Value of building

- (i) Monthly rate of rent fixed for residential building by per sq. foot
Municipal Commissioner
- (ii) Multiplier in relation with the rate of residential building times
prescribed by rules based on usage of Non-residential building
- (iii) Monthly rate of rent achieved for the Non residential building ((i)x(ii))..... per sq. foot
- (iv) Covered area of building (Including all floors) sq. foot
- (v) Annual Value of building= monthly rate of rent x
Covered area x 12 or ((iii) x (iv) x 12)
or Annual value of building= (i) x (ii) x (iv) x 12

(b) Annual Value of land

- (i) Monthly rate of rent fixed for residential land by per sq. foot
Municipal Commissioner
- (ii) Multiplier in relation with the rate of residential building times
prescribed by rules based on usage of land

- (iii) Monthly rate of rent achieved for the land ((i) x (ii)) per sq. foot
 (iv) Area of land sq. foot
 (v) Annual Value of land=Monthly rate of rent x Covered area x 12 or ((iii) x (iv) x 12))

(c) Total Annual Value = Annual value of building+Annual value of land or a (v)+b(v).....
 (d) Incentive (Rule 4 - C (6))

For rebate of 2% in annual Value of the Non-residential building provide following information-

- (i) In building whether the system of rain water harvesting or ground water recharging is installed and operational. (Yes / No)
 (ii) Whether at least 40% of the total area is covered by the plantation and greenery (Yes / No)
 (iii) Whether proper and adequate parking lots are available (Yes/No)
 (iv) Whether engaged in trade or manufacture or any activity which causes pollution (Yes / No)
 (v) If information of point (iv) is 'Yes' then whether effective anti pollution measure have been adopted (Yes / No)

Note: (1) Provided that the above rebates shall be granted on year to year basis after verifying the existence and proper upkeep of the facilities and measure mentioned in this clause

(2) Annual Value of such building as mentioned in clause (d) Shall be increased by 2% if the building does not provide measure mentioned in clause (d) i.e. rain water harvesting or ground water recharging/ adequate plantation and greenery/ proper and adequate parking lot/effective anti- pollution measures adopted.

7. Calculation of Tax-

- | | | |
|------------------|---|--|
| (i) General Tax | - | 15% of the Annual value |
| (House Tax) | | |
| (ii) Water Tax | - | 12.5% of the Annual Value |
| (iii) Sewer Tax | - | 3% of the Annual Value |
| (iv) Other Taxes | - | Annual Value as assessed X Rate of the Tax |
| (Name of Tax) | | |

8. Details of Tax deposited-

S.N.	Name of Tax	Amount of Tax	Receipt No.	Date	Name of zonal office
1	2	3	4	5	6
	General Tax				

* Number of four wheelers parked on public Road/ Footpath out side his building by owner/occupier.....

VERIFICATION

I, , who is the owner/occupier of House No situated in Mohalla of the Ward , do hereby declare that the particulars furnished in this Form are correct and complete to the best of my knowledge and belief. Any detail therein had neither been concealed nor mentioned false.

Date.....

Signature.....

Witness.....

Name.....

Signature.....

Address.....

Name.....

Pin Code

Father's Name.....

Phone/Mobile.....

Address.....

e-mail



Nagar Nigam, Lucknow

Form 'D' (See rule-3)

Property Tax assessment form in respect of Non-residential buildings

1. Details of owner/occupier-

- (i) Name of owner/occupier.....
(ii) Father's/Husband's name of owner/occupier-
(iii) Building/ House / Plot No. and locational address:
House/Plot No.Name of street
Name of Mohalla.....Name of ward
(iv) Address of the residence of owner/occupier (if different from above).....
(v) Other details, if any
(vi) If a building or land is on rent, mention the name of the tenant.....

2. Details of building or land-

- (i) Covered area of the building (In square foot)
(ii) Area of open land or plot (in square foot)
(iii) Other details, if any

3. Details of location-

(a) Building or land is located-

- (i) On road having a width more than 24 metres
(ii) On road having a width of 12 metres to 24 metres
(iii) On road having a width less than 12 metres

(b) Nature of construction of building-

- (i) Pucca building with R.C.C. roof or R.B. roof
(ii) Other pucca building, asbestos, fibre or tin shed
(iii) Katcha Building i.e. all other buildings
not covered in (i) and (ii)

Note - Please tick (✓) in the box applicable.

4. Year of construction of building.....

5. Previous assessed Annual Value and years of the assessment.....

- Number of four wheelers parked on public Road/ Footpath out side his building by owner/occupier.....

VERIFICATION

I, who is the owner/occupier of House No. situated in Mohalla of the Ward do hereby declare that the particulars furnished in this Form are correct and complete to the best of my knowledge and belief. Any detail therein had neither been concealed nor mentioned false.

Date.....

Signature.....

Witness.....

Name

Signature.....

Address.....

Name.....

Pin Code

Father's Name.....

Phone/Mobile.....

Address.....

e-mail

नगर निगम लखनऊ

कक्ष (वाडी) वार निर्धारित मासिक किराया (प्रति वर्गफुट) दरों की सूची (1.4.2010 से प्रभावी)

कक्ष सं.	कक्ष का नाम	कक्ष का विस्तार	24मी. से अधिक खीड़े मार्ग पर स्थित भवन			12मी.से24 मी. तक खीड़े मार्ग पर स्थित भवन			12मी.से कम खीड़े मार्ग पर स्थित भवन			केवल भूमि/भूखण्ड के सम्बन्ध में स्थित		
			R.C.C./R.B. छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	R.C.C./R.B. छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	R.C.C./R.B. छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	24 मी. से अधिक खीड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड	12 मी. से 24 मी.तक खीड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड	12 मी. से अधिक खीड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	इडाइमपुर वाडी-	नीलमया, नदी बरसी, इडाइमपुर, शकूरपुर, भगवत्स नगर, बरीली, खलीलालाद, इश्वरी खेड़ा, विरहीयादाग, हैवतमऊ मदैया, पंथा खेड़ा, सरस्वतीपुरम, उत्तरठिया, सिंचाई कालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
2.	राजा विजयी पासी वाडी-	रहीमाबाद, न्यू रहीमाबाद, बेहसा, मुशीखेड़ा, किला गांव, किला गोडमंदी, गुडोरा बगली, औरगाबाद आलासा निर्जिपुर, छुडाना खेड़ा, स्वरूप बन्द खेड़ा, तिरहाना खेड़ा, खाजापुर,	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		आशियाना एम, आशियाना एन., आशियाना, एल.डी.ए, कालोनी, टी.पी. नगर	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
3.	तिलक नगर वाडी-	ऐशाबाग, राम नगर, खजुड़ा, नेता, कन्हैया लाल कालोनी, तिलक नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
4.	सरोजली नगर वाडी- प्रद्यम	हिन्दू खेड़ा, हडाईन खेड़ा गहर, बराती खेड़ा, गंगादीन खेड़ा, दरोग खेड़ा, स्कूटर हिण्डा, गोरी, जबराजपुरी, हनुमानपुरी, नवीन गोरी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
5.	अन्वेषकर नगर वाडी- हिंसीध	धिता खेड़ा, करेहटा, गुलजार नगर, गर्वनमेन्ट प्रेस, मिल रोड	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
6.	शहीद भवति सिंह वाडी-	समता नगर, आनन्द विहार, उक्सोही बजार, श्रीकृष्ण विहार, मादशाह खेड़ा, अमराई गोव, दीनदयाल पुरम, तकरोही गांव, रामदीन का पुरवा, फतवा पुरवा, हरदासी खेड़ा, केचनपुर, मटियारी, संतपुरम, जय नगर, रफी नगर, दूड़ा कालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
7.	जालदीय नगर वाडी-	अनुपम नगर, पाण्डेय का तालाब, विश्वापुरवा, गोतीझील कालोनी, मालदीय नगर, रेलवे कालोनी, गुडोरे रोड, शीतल खेड़ा, पौले खेड़ा, दाल गोदाम, हवीब नगर, लक्ष्मणगंज	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
8.	साल बहादुर शास्त्री प्रद्यम	ए स्लाक इन्डिशनगर, सेक्टर-22, 23, 24, सर्वोदय नगर, स्वयंपुर नगर-आशिक, सेक्टर-20, प्रकाश लोक, समदीपुर	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.80	0.40	0.30
9.	कन्हैया नाथवपुर वाडी-	बरीरा हुतैन वाडी अविरानखेड़ा, फरीदीपुर, सरदार नगर, बैगरिया, मापोपुर, इलमासतबाग, लन्डेयाखेड़ा, आजाद नगर एवं दी ब्लाक, एकतापुरम, गोदिन्दपुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
10.	खरिक वाडी-	सुमानी खेड़ा, घोसियाना, कुम्हार नडी, रवीन्द्र नगर, नेपालगंज, गोपाल नगर, नाई टोला, पसियाना, बगली टोला, रायबरेली रोड, गोधी नगर, लीगा खेड़ा, चमरही, मोहारी बाग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
11.	पिलहड़ वाडी-	नया गांव, विजयीपुर, करीता, तकबा, रिसाहा आशिक भाग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		पिलहड़-ए, ग्री, री, झी, ई, एफ, एच ब्लाक, विनीत खण्ड, गोमती नगर बोजना के अन्न भाग।	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	फेन्युलामंज वार्ड-	योगीनगर आंशिक, शिवलोक, अनकपुरवा, नया पुरवा, जुगल विहार, अम्बर विहार, यश नगर, सतलजीर नगर बसंत विहार, बाऊद नगर, गांधीपुर, गौरपीट, गांधीपुर, बलराम लुड्डी, रहीम नगर, नीबस्ता प्रियदर्शनी योगना-सेक्ट-सी, दी, प्रगति विहार, दिलकुश विहार, नडी परिषद 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15	1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20											
13.	लालकुड़ी वार्ड-	ठाला रसूल खी, गढ़वा छितवापुर रोड, छितवापुर पजादा, कटरा मक्कुलगज, भेड़ी मजदू गुरु गोविन्द सिंह नारा, गीराम दुड़ नारा, स्टेशन रोड 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15	2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 0.60 0.40 0.30											
14.	अम्बेडकर नगर वार्ड- प्रथम	आजाद नगर, हरचन्दपुर, गड़ी काली, अम्बेडकर नगर, प्रेमवती नगर, इम्बरिंद्रियन एरिया एन.इ.आर. ऐलवे कालोनी 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
15.	सरोलभी नगर वार्ड- द्वितीय	अनीरा, अनीरी, बेहला, गिन्वन खेड़ा नादरगज, आजाद नगर, तपायन नगर, अवध विहार, लाल खेड़ा अली नगर, बदाली खेड़ा तत्पलोक, नारायणपुरी, मानसा नगर, बल्लीसांडी पी.ए.सी. बाहिनी, बीमा अस्पताल, सावधान निकेतन, विष्णुलोक, शाली नगर, टी.सी.एल. कालोनी, मुरली विहार 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20												
16.	टिवरगज वार्ड-द्वितीय	नरपत खेड़ा, चुनू खेड़ा, गुनू खेड़ा, बीशोखेड़ा, छिप्टी खेड़ा, हलनखेड़ा, बादशाहखेड़ा, पूर्वीन खेड़ा, पारागांव नदी बस्ती, पकड़ा बाग, भपटामऊ, रनना, मूहर, भमरीली, शाहपुर भोइन रोड, आलन विहार, गोना विहार, बुद्धेश्वर विहार, मल्लपुर 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
17.	हजरतगंज वार्ड-	महारामा गांधी वार्ड, बालमीकि नारा, मकबरा रोड, शाहनजफ रोड, लाप्लास, सप्त नारा, लारेन्स टैरेस, बाजार हजरतगंज, एन.के., हलबासिया रोड, कैपर रोड, खण्डारीपुराण, त्रिलोकनाथ रोड, बेलदारी लेन, कदाबाई प्रतिमा से डाहिने ओर, राणा प्रताप नारा से शनि मंदिर तक तिलक, लक्षण मेला इच्छा से दाहिने सिकन्दर नगर तक 2.50 2.25 1.00 2.25 2.00 0.75 2.00 1.50 0.60 0.70 0.60 0.40												
18.	ओम नगर वार्ड-	ओम नगर, पुश्यना सरदारी खेड़ा, कोरियाना, मिलावा, राकित नारा, झृषि नगर, मदुबन नगर, आजाद नगर, हसनापुर, साकेतपुरी, जय प्रकाश नगर 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
19.	केशरी खेड़ा वार्ड-	केशरी खेड़ा, गंगा खेड़ा, कनीरी, बलदेव खेड़ा, दोदाखेड़ा, धोधाखेड़ा, सूर्यनगर, विक्रम नगर आर.डी.एस.सी. 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25												
20.	गुरु गोविन्द सिंह वार्ड-	गंगा कालोनी, आर.पी.एफ., कालोनी, सी.पी.एल.कालोनी, काठहजली लालाब, ऐलवे कालोनी, ऐलवे साइडिंग हास्पिटल, राजकीय उद्यान, आनन्द नगर, बड़ा दरहा, जिला कारागार आवास, जिला कारागार 1.50 1.25 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20												
21.	राटडा नगर वार्ड-	भद्रनव, करारी, लालोह नगर, फिरोजी खेड़ा, देवी खेड़ा, सरपोटगान, पिपरीली, शीतलखेड़ा एनिडको-1 लघि खण्ड, रविम खण्ड, रजनी खण्ड, सेनिक नगर, रोनानी विहार, साउथ सिटी, एलिंडको-2, राटडा कर खण्ड 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	गुरु नानक नगर वार्ड-	गुरु नानक नगर, सनेह नगर, प्रेम नगर, विशेषशर नगर आशिक, दाखोदर नगर, नया सरदारी खेडा, पूरन नगर, सुन्दर नगर, नटखेडा, गोविंद नगर, जयप्रकाश नगर आशिक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
23.	जगदीश चन्द्र बोस वार्ड-घरियारी मंडी, जंबूरखाना, कैण्ट रोड, कन्धारी बाजार, कोर बाजार रोड, रकाबगंज जदीद, विवंत रोड, चौलखी, चाईना बाजार, बालाकदर रोड, जे.सी. बोस रोड, बागमूलू,	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	1.25	0.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
24.	हनिंदा प्रियदर्शी वार्ड-	खडगपुर, फरीद नगर, चाटन, सुरगामऊ, जरहरा, पंडितपुराण सेक्टर 11, 14 (हनिंदा नगर)	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
25.	बालागंज वार्ड-	बालागंज, बरीरोड, सरफराजगंज, नालापुरम, रेलवे कालोनी, गोपाल नगर, रसीदी नगर, गोशाला रोड, हरि नगर, छुन्दझया का पुर्वा, बरावन कला, दुबरगा, बरीकला, छुन्दझया	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
26.	चावू कुञ्जविहारी लाल भगत	चुजानपुरा, अहमदपुर, छोटा बरहा, पदनपुरी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
27.	निराला नगर वार्ड-	बाहुगंज, छोटा बादिगंज, सराय हसनगंज, बाबा की बगिया, शकर नगर। निराला नगर, निराला नगर सेक्टर पंच, फैजाबाद रोड, पशुपालन एवं मर्स्य विभाग कालोनी, विश्वविद्यालय परिसर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
28.	गीता पट्टी वार्ड-	पक्की, हसनापुर आशिक, मुस्लिम नगर, विशेषवर नगर गीतापल्ली, कृष्णापल्ली, रोनिक नगर।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
29.	राजाराम मोहन राय वार्ड	लोकमान्य तिलक मार्ग, बटलर पेलेस कालोनी, मदन मोहन गालीय नार्ग, गोखले मार्ग, प्राग नरायन रोड, लाजपत राय मार्ग, बजीर हसन रोड, राम मोहन राय मार्ग, राणा प्रताप मार्ग का दाफिनी ओर का भाग, सेकल्प वाटिका से डालीबाग	2.50	2.25	1.00	2.25	2.00	0.75	2.00	1.50	0.60	0.70	0.50	0.40
30.	शंकरपुरवा वार्ड-ट्रिलीय-	आदिल नगर, गांवों का पुर्वा, कलाणपुर पश्चिम, गायत्रीपुरम्, गोठबाग, अतरेनी, जहरपुर, बहादुरपुर, यूनिटी रिटी, भेदहापुर, नोहम्मद पुर खड़ी, सीमान्त नगर, प्रगति विहार, बजरंग नगर, अकिल्याबाई नगर, शिव विहार कालोनी विकास नगर विस्तार सेक्टर-10 से 14 तक, रिंग रोड, एल्डलो कालोनी कुर्सी रोड।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
31.	निशातगंज वार्ड-	निशातगंज फैजाबाद रोड	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
32.	फैजुल्लागंज वार्ड-प्रदेश	सीतापुर रोड से केशव नगर बाला डिवइडर रोड का दाफिना हिस्ता, भरत नगर, रात्यनोक, फैजुल्लागंज, इन्द्रलगंज, नोहियुल्लापुर, शीनगर, सेनरा गाँड़ी, शेरवानी नगर, शंकरपुर, केशव नगर, संस्कृतनगर, नायक नगर अमरेन नगर प्रियदर्शीनी योजना-सेक्टर-ए, भी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
33.	राजेन्द्र नगर वार्ड-	खासपुरवा, चकमड़ी दुगांवा, चमरटोलिया, दुगांवा, राजेन्द्र नगर विधिन (धमारन टोला) राजेन्द्र नगर मार्ग राजेन्द्र नगर दक्षिण(वेगम खेडा), उड़ा खासपुरवा, नाका हिन्डोला, विरहाना	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	राजी लक्ष्मीबाई, अमीनाबाद वार्ड-	नयागांव पश्चिम, कैसरबाग, पुराना नजीराबाद, निशब्दन्धु रोड, नजीराबाद, शयामा प्रसाद मुखर्जी रोड, बाजार जाक लाल, ख्यालीगंज राज नवाब अली रोड, कबहरी रोड, आर.के. दण्डन रोड, घकबत्ता रोड, मारवाड़ी गली. गन्ने बाली गली	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		शीताम नुद्द गांव, गढबहुडाला, अमीनाबाद पार्क, श्रीराम रोड	2.25	2.00	0.75	2.00	0.70	1.75	1.50	0.60	0.80	0.60	0.40	0.30
35.	जगन्नाथ पुरम वार्ड- प्रथम	राजी खेडागांव, खलीलाबाद, नेवादागांव, रामपुरगिर्हल गांव, जानकी विहार में अन्य सोसाइटी महिलाओं तक शिव विहार, अलीशा नगर, राय श्याम पुरवा, सुल्तानपुर गांव व उसके जासपाल सोसाइटी, नीतापुर रोड अभिषेकपुरवा व अन्य सीमा तक, गडियांव गांव, चौधरीपुरवा, गडरियनपुरवा हरयादि सीमा तक इत्तिनियरिंग कालेज पुरा, आकाशा परिसर पार्क ए.व बी. पुरा, से.-आई. पुरा, वि.वि. न्यू लैम्पस	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
36.	राजीव गांधी वार्ड- प्रथम	चरियाद, सोधपुरवा, घगरही, बेलडा आशिक दिज्य खण्ड, विनय खण्ड, विवेक खण्ड, विराट खण्ड	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
37.	हसनाईलगंज वार्ड- प्रथम	नदीनी विहार, कपीश कुंज, इसाफ नगर, पानी गांव, एहसान नगर, लोहिया विहार इनिद्रा नगर रोडटर-8, 10, 12, 13, मुशीपुलिया का आशिक भाग, सूर्य इन्कलेक्चर, पटेल नगर आशिक।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
38.	मेवलीशाहन गुप्त वार्ड-	गांजीपुर गांव, वस्तीलीगांव, आम्रपाली गांव राम संख्या-ए खाक इनिद्रा नगर, विष्णु संख्या-बी खाक इनिद्रा नगर, सम संख्या- बी खाक 1424 तक, विष्णु संख्या- सी खाक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
39.	ऐशवर्य वार्ड-	ऐशवर्य पूर्वी रामलीला, ऐशवर्य श्रफिक बस्ती, भद्रवा नई बस्ती एस.टी.ए. कालोनी, आई.टी.कालोनी, वाटर वर्क्स रोड, इन्द्रानी नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
40.	राजी अहमद लिलवहू नगर वार्ड-	लिलिंगा, गढरियन पुरवा, न्यारी, सुजन विहार कालोनी विशाल खण्ड, विपिन खण्ड, विपुल खण्ड, विकास खण्ड	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	0.60	0.40	0.30	
41.	हसनाईलगंज वार्ड- द्वितीय	राजीकर्य पालीटेलिंग, आकाशवाणी सेक्टर-8, नगलपुरी, भासर गाड़न, अरोक विहार, शालीनार गाड़न, ऐवनगर, दीपक नगर, पटेल नगर आशिक, इस्लाईलगंज गांव, सुरेन्द्र नगर, उर्मिलापुरी, मुसाफर नगर, प्रीतनगर, हरितुर नगर, कमला, शिवपुरी, शाकरपुरी, पंचवटी, आजम नगर, विगल नगर, सनातन नगर, कल्याण विहार, कमला नेहरू नगर, रघुराज नगर, राजीव नगर, राजधीर नगर	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	0.60	0.40	0.30	
42.	कलियन कालेज वार्ड-	फैजाबाद रोड से आई.टी.हक, पुराना हैदराबाद, न्यू हैदराबाद, विश्वविद्यालय मार्ग, बादशाह नगर, बीरबल जाहानी रोड, बालदा रोड कालोनी, राय विहारी लाल रोड	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.80	0.40	0.30
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
43.	लाला लालपतराय वार्ड-	बटहा, अकिलपुर, सबौली, तिवारी नगर, प्रताप नगर, तातारपुर, न्यूपुर अलीगंज योजना सेक्टर-एन, और रिंगरोड से दक्षिण सीतापुर रोड योजना का भाग, कुर्सी रोड	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44.	विश्रामपुत्र नगर वार्ड-	जाफर खेडा, भोलाखेडा, इन्दपुरी, हन्दलोड, घजरंग नगर, तिवारीपुरम, प्रदाप नगर, शिवम नगर, सुभाष नगर, विजय नगर, आशुलोढ नगर, लिंग नगर, कृष्णानगर, लिंग नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
45.	पेपर मिल कालोनी वार्ड-	जुगीली, भीखमपुर, बालभीक नगर पेपर मिल कालोनी ब्लाक-ए. बी.सी.डी.ई.एफ.जी. एच. भेहल इन्डियन एल्टिको ग्रीन, सिवाई कालोनी, विभा खण्ड, आर.आर. विभाग, विकासी नगर, विश्वास खण्ड, बादशाह नगर रेलवे ब्रायिंग से कुकरेल बच्चे तक, बादशाह नगर रेलवे कालोनी, सरिवालय कालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
46.	मोलागांज पीरजलीला वार्ड-	पीरजलीला, पुल झाकलाल, हाता फकीर मोहम्मद कच्चा एवं पवका, गोलागांज, ताकिया आजम देव बी.एन.डमी रोड, गुराना कानपुर रोड, जगत नरायण रोड, रीवर बैक कालोनी	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
47.	हेवरगांज वार्ड- प्रधान	हेवरगांज, अमन विहार, रिका कालोनी, गुलहन विहार, आसियामक, लिंग विहार, ब्रह्म नगर, लक्ष्मणी हजारीपुरा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
48.	महात्मा गांधी वार्ड-	बरकखाना, हातागांवी खाड़ी, अडगडा बुरेमगंज, खन्दाशीपुरवा विधान सभा मार्ग, गोजर बैकस रोड, कबीर मार्ग, मुरली नगर, जय नारायण रोड, सरोजनी नायक मार्ग, महाला गांधी मार्ग आशिक, कुर्मा टोला व हुसेनगंज	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
49.	बालूजगजीबज राम वार्ड-	सेक्टर-16,17,19,21,25 (इन्विरानगर) व सरस्वती दिहार	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	0.80	0.40	0.40
50.	हरदीन राव नगर वार्ड-	आशिक रुकुनीपुर, चमारन का पुराया, राजाजीपुरम आशिक इ.स्लाक, आशिक री.स्लाक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
51.	कदम रसूल वार्ड-	इरादत नगर, कदम रसूल, पुरानी बैसमण्डी, रेती झबझाली टोला, कार्बला नसीरदीन बिस्ती टोला, नवी बस्ती, मशालघी टोला, भाष्टू टोला, अराफाकउल्लाह नगर तिलक विहार, सीतापुर रोड, मोहन भिकिंग, बागशाहजी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
52.	गोनदी नगर वार्ड-	लक्ष्मनपुरी, रोडलास इन्कलेव, रवीन्द्रपल्ली, हरि नगर, संजय गांवी पुरम कसेला, मारुतीपुरम, नरायण नगर फैजाबाद रोड, एच.ए.एल. कालोनी, विभूति खण्ड, कलास कुज	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	0.80	0.40	0.30
53.	मल्लाडी टोला वार्ड- प्रधान	नगरिया, जनरेलगांज, मल्लाडी टोला, सोधपुरवा, पिश्वीबाग, मलिहाबद रोड	1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.30
54.	कुवर ज्योति प्रसाद वार्ड-द्वितीय	राजाजीपुरम आशिक, एफ.स्लाक, आशिक इ.स्लाक, आशिक आजम नगर, मुराकटोला, गढ़ीपीर मवका	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.20
55.	मोतीलाल बेहल नगर वार्ड-	कायम खेडा, निवाज खेडा गोती नगर, आर्य नगर, इशाबाग, रोड, अमीर नगर, नेहल नगर, आशिक नवेया	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
			1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56.	झालीगंज बाई-	गोडियनपुरवा, लाहौरगंज, झालीगंज, भुशीगंज, भुशीगंज तकिया, नजीरगंज, रानीगंज, लकड़मढ़ी, हसनगंज, माया नगर	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		फैजाबाद रोड, सीरापुर बान्ध रोड, मनकामेश्वर रोड सोनचंद तक	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
57.	विकासादित्य बाई-	जियामऊ, लाभाटीगिरि कालोनी, मार्टिनपुरवा, पिपराघाट, आबादी कविरत्नान, शुभन नगर	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
		विकासादित्य भार्ग निलिंग टाउनिया एवंन्तु विषेकानन्द मार्ग, गुलिसता कालोनी, गौतमपत्ती, माल एवंन्तु महाना गाँधी मार्ग	2.50	2.25	1.00	2.25	2.00	0.75	2.00	1.50	0.80	0.70	0.50	0.40
58.	लाल बड़ासुर साठी-टिकीस	शक्ति नगर, कृष्णनगर नगर, लिंबटी कालोनी आशिक, लवौदय नगर	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		इन्द्रिया नगर ए ब्लाक आशिक	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.80	0.60	0.40	0.30
59.	हुसीनाबाद बाई-	गैन्द खाना, मोडनीपुरवा, शिवपुरी, हाता सितारा बेगम, पीर बुखारा	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		तहसीनगंज, मसिनाबाद रोड, हुसीनाबाद (रीशामहल)	1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
60.	लेवर कालोनी बाई-	नन्दालेडा लेवर कालोनी (टिकेतराय), राजाजीपुरम री ब्लाक (नया), दिरियापुर कालोनी	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
61.	बेगम हजरत महल बाई-	भेशी प्रसाद मार्ग, बड़ा भौदरिय आशिक, सहावीर जी का पुरवा, प्रताप भाग कालोनी, माई जी की बगिया, पाण्डेय टोला, डन्डेया बाजार का दक्षिण भाग, डन्डेया बाजार के बाई ओर, मेहदी टोला, बेगम हजरत महल का दक्षिणी भाग	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		महानगर विस्तार, शेखुपुरा	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
62.	महानगर बाई-	अम्बाही का पुरवा, रहीम नगर, बेगम हजरत महल नगर, दर्शनगंज, अकबर नगर	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		नहानगर, विक्कुपुरी, पी.बड़व्यु री, लखाटर, फैजाबाद रोड के उत्तरी भाग, दयाल फौर्ट, गोल नार्कट	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
63.	तिरेनी बागर बाई-	तिरेनी नगर-1.2.3, ब्लॉनगर, पतीरागंज, अदिवरनपुर	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		सीरापुर रोड	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
64.	कुपर उमोति प्रकाद बाई-प्रथम	राजाजीपुरम आशिक है ब्लाक, आशिक एफ ब्लाक, आशिक आलम नगर, महदी खेडा	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
65.	रामतीर्थ बाई-	निजपुरवा, नदही, नीराबाई मार्ग, रामतीर्थ मार्ग, राणा प्रताप मार्ग, पार्क रोड, बनारसी बाग, कैलाश रियारी मार्ग, रामकृत बर्ली, रारोजनी नायाह मार्ग, विन्दसर पैलेस, राजभवन व राजभवन कालोनी, महात्मा गांधी मार्ग (आशिक), नल्लाइपुर बर्ली, स्टेट गेस्ट हाफ्टर, शिव शक्ति भवन से दूरदर्शी केन्द्र तक, राणा प्रताप आशिक	2.50	2.25	1.00	2.25	2.00	0.75	2.00	1.50	0.60	0.70	0.50	0.40
66.	हिन्द बागर बाई-	रामगढ़ कालोनी, बड़दी खेडा सम्बर-खेडा, पकड़ी खेडा, मदारी खेडा, चिलावा	1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
		हिन्द नगर, एल.डी.ए, कालोनी कानपुर रोड ब्लाक वी.सी.डी.	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67.	मनकामेश्वर मंदिर वार्ड-	कुतुबपुर, कवड़िया का पुरवा, मुकारिम नगर, बरीलिया, टैगोर मार्ग, जोशी टोला 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.20 0.15												
68.	चन्द्र मानु शुभ नगर	मुन्ने लाल धर्मशाल रोड, लोकमान्यगंज, रेलवे मल्टीस्टोरी से एण्ड केंद्र कालोनी, चन्द्र मानु शुभ नगर (पालदरीबा), सुभाष मार्ग हैंदर कैनाल से चारबाग तक रोड के दोनों ओर, जी.आर.पी. कालोनी, दुर्गापुरी, लसन्ट इवेंगर आशिक मैदान, मुख्योड़ कालोनी, चारबाग रेलवे कालोनी, सेवाग्राम स्टोडियम कालोनी 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20 ए.पी.सेन रोड, गीतम बुद्ध मार्ग (जी.ए.पी. कैनाल से चारबाग तक) 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.80 1.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25												
69.	रामजी लाल नगर वार्ड-	हरिहर प्रसाद नगर, राम नगर, मगल खेड़ा, ब्रह्म नगर, राम प्रसाद खेड़ा, भी नगर, समर विहार, छिंत्रगुप्त नगर, इयाम नगर, बहादुर खेड़ा श्रुगार नगर अमलदही शाग 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
70.	साजादतगंज वार्ड-	विहारीपुर, साजादतगंज खास, तरायनगल, हसनगंज बाबली बाजार, मोहम्मदगंज, फलोड़बाद, गढ़वा चुल्लानपुर, समराही रोड, बेलवारी, हियार्ड, कागजीटोला, परसटा, दुगादीन रोड, मालादीन रोड दोनों रोड, दशगाह हजरत अब्दुस थेड आशिक, शेखपुर रोड 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
71.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड-	पुरी टोला, ठरेरी टोला, छाड़ीकुआ, कीलखाना, बाबरी टोला, नालबदी टोला, ककीर मैहदी मकबरा रोड, चौकरी गढ़वा, आगामीर डशोटी, जोशी टोला, इनामबाड़ा आगामीकर, पटानाला 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15 शाहनीना रोड, सुभाष मार्ग (नेडिकल कालेज चौराहे से रकाकगंज पुल तक) 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 1.25 0.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25												
72.	गणेशगंज वार्ड-	पिलपुरवा, नडेया, गणेशगंज, हाला मालादीन, शिवपुरी, कसमझी, फतेहगंज, तकिया गणेशगंज, नाला कतेहगंज, जंगलीगंज, अमानीगंज, भूसामणी, कसाईबाड़ा 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20 न्यू गणेशगंज, गुरुद्वारा रोड, नाका डिन्होला, विजय नगर, आर्य समाज मंदिर रोड, पुराना गणेशगंज, घोड़कट, अमीनगाँवाद। 2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.80 0.80 0.40 0.30												
73.	विजयवी देवी वार्ड-	ए.ल.डी.ए. कालोनी कानपुर रोड के सेक्टर-एच, जी. औ-1 द्वितीय	1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20											
74.	महाक्षि जय हांकर प्रसाद वार्ड-	पुरनिया, उत्तमानपुर, इन्द्रानगरी, शिवाला का पुरवा प्रसाद वार्ड	1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15 अलीगंज योजना का सेक्टर-सी, डी. के. पी. वड्यू सी.एस., डी.एस. ए.ल.के.एस. 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 1.25 0.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25											
75.	सरदार पटेल नगर वार्ड-	अलमगार खाना, ए.ल.डी.ए. कालोनी, रनिंग रोड कालोनी 40 क्वार्टर, वेजेटेबिल प्राउन्ड, आर.पी.एफ. वेटर्स, नेरियल रोड, बेरी रोड, लालबर रोड, टेम्पुल एरिया, शाही मस्जिद, सालकटोरारोड, जगजीवन राम ट्रेनिंग सेंटर, तेजी खेड़ा, पटेल नगर, आदर्श नगर, अर्जुन नगर 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
76.	बाबू बनारसी वास वार्ड-	बनिया नोहाल, हाला गनी खी, उदयगंज पार्क, सुतुरखाना, छित्रपुर भुईयन, ले.के.सी./के.के.जी. कालोनी, शुभम नगर, पुराना किला हैंदर कैनाल, के.के.सी. के बगल नाला यिनादा, हैंदर कैनाल, सिंधाई भवन के बगल का नाला, कैनाल कालोनी, रिचाई भवन, हैंदर कैनाल, शिवमंदिर से नाले का किलारा, गढ़वा जौहर नेहतर, बाग आईना बीची, हाला खाजा गौहर, तिलपुरवा 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77.	आरक्षेन्ट एरियल कार्ड-	पालन छावनी, बेसीगारद												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
		सोखापुर, रोड, योजना (अलीगंज योजना) सेक्टर-५, बी.सी.इंजीनियरिंग कालेज के दक्षिण, केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर-३, ती.एस.एस., रोड												
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	1.25	0.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
78.	अवासानिक कार्ड-	बलासपुर, पीताम्बर खेड़ा, शिवमुरी मर्दनखेड़ा शीलतापुरम लक्षण विहार, बल्लीखेड़ा बसन्त विहार, पारा छावनी नदी, राम विहार, वेष्टवपुरम, गायत्रीपुरम, देवपुरा, चन्द्रादेव नगर, डावटर खेड़ा												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
79.	अवासानिक कार्ड-	गंगाप्रसाद रोड, साप्तर भगर, काशी डेश, ताजीखाना, अस्तादल बारबाग, खेमदेजान, पुल कुम्हारन, मल्लाही टोला, फरश खाना, हाता दुर्गा भवाद, खड़ी टोला, नुरखाना, नई बरती, बाग शेरजग, चिकमण्डी												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
80.	शीतला देवी कार्ड	त्रिवेणीगंज, बुद्धलाल, तिवारी रोड, भाइस्थी टोला, नीवरता, बाग शीतला जी, पुराना टिक्किंगंज, कटरा खुदायार खी, ए.ल.डी.ए. कालोनी												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
81.	दार्शनी नानी कार्ड-	विनय खण्ड-१,२,५ व विनय खण्ड-३,४ का आशिक भाग, विराम खण्ड												
	द्वितीय	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
82.	अचोप्ता दास कार्ड-	बाबा का पुराम, पुराई टोला, खदरा, लपपुर खदरा, लोनी कटरा, मदेशगंज, मवधागंज, नैहदीगंज, रोदा संख्यान से नानकशाह मन्दिर रोड तक												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
		शीतलापुर रोड का परिवर्ती भाग												
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	1.25	0.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
83.	राजाजीपुरम कार्ड-	राजाजीपुरम-५, बी.सी.वी. की ब्लाक, लाझूनखेड़ा												
		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
84.	लोहिया नगर कार्ड-	कान्हाई लाल का पुराम, महेश नगर												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
		लिकार नगर सेक्टर-१ से ८ तक एवं १० आशिक ताले के पश्चिमी भाग :												
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	1.25	0.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
85.	अन्नदराज कार्ड-	सम्पाद मन्दी, हाता सूरज गिर, अमरगंज, महबूबगंज, बजीरामगंग, परान्दबाग												
		1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
86.	करमीटी नोडल्स कार्ड-	पुल गुलाम बुलीन रोड, बन्दूर नगर, दरगाम हजरत अब्दास रोड, लकड़ी खुर्द, खरियाह, कच्चाबाग, पुराम बाबूलाल, त्रिलकी बागमीठ, कटरा खुदायार खी, छोटे साहब आलम रोड, नुरबाड़ी, छावनी हुसूलीन ली, पालिस नगर, तिरके बाली बाली, करमीटी नोडल्स उत्तरी करमीटी नोडल्स दलियी, गाढ़ी अढ़ड़, पुराना पानदीरीथा												
		1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
87.	हिन्दिरामगंग कार्ड-	टीका पुराम												
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
		इन्दिरा नगर योजना-सेक्टर १५, १७, १८												
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
88.	विद्यावती देवी कार्ड-	ए.ल.की.ए. कालोनी कानपुर रोड के सेक्टर-१०, ए.प.के.सी.-१ (आशियाना), सेक्टर-आई, जी (आशियाना) व सेक्टर-एल एवम्												
		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
89.	उलीगंज कार्ड-	रोखापुर, भिन्निया टोला, कातेल्पुर, हातापुर, घोषी टोला, मिजाबाग, बनारसी टोला												
		1.50	1.25	0.60	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
		अलीगंज सेक्टर-ए, बी.एफ.इ. घोषीगंज गाड़न, चन्द्रलोक कालोनी, राधीन्द गाड़न												
		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90.	आचार्य करेक वैद वार्ड-	चौपटिया, चौपटिया रोड, खेतगली, काटक पिया लाल, चदाई माहूलाल, दिलाराम बारादरी, निवाजगंज, सरायभाली खीं, रानी कटरा, हाता भीखम खीं, अहारी टोला, पुल मोती लाल	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
91.	जामकीपुरम् वार्ड-	छुईयापुरवा गांव, सिकन्द्रपुर गांव, गुडियनपुरवा गांव, पहाडपुर, सेकटर-3ी का पूरा भाग, इसरो, रिमोट सेसिंग बायोटेक परिसर पूरा, सेकटर एवं के सम्पूर्ण खण्ड-1,2,3,4 स्टेट बैंक कालोनी, सेकटर-आई आंशिक, आकाशा परिसर, भींगी, लस्टू, ठीं जा पाकेट री, सहारा स्टेट, पुडना थाना सेकटर-जे, इल, बी.ए. की नवनिर्मित कालोनी व उसके आगे का सम्पूर्ण भाग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
92.	दीलतगंज वार्ड-	गिरधारी लाल माधोपुर रोड, पक्कावा, बहनदगंज, गळघाट, राजजादगंज, ब्रह्मणी टोला, दौलतगंज, दुर्गाखाना	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
93.	यदुनाथ सान्ध्याल वार्ड-	अशोक नगर, नटखोडा, कुमी टोला, युरियन टोला, सुतुरथाना रिसालदार पार्क, योगेन्द्र पाठक रोड, यदुनाथ सान्ध्याल रोड, सुन्दर वाग, सफदलवाग, वैरानी खन्दक, शिवार्जी मार्ग, माडल हाडरा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
94.	मौलवीगंज वार्ड-	गुड़िन सालाब, रथयाना, लशकरी रकाबगंज, टढ़ी बाजार, सुभाष मार्ग, मौलवीगंज पूर्वी विरहाना, गौस नगर, सुभान नगर, रस्ती बटोन, युहनगंज, अरत मण्डी, भूसा मण्डी, महिला कालेज, जनाना पार्क	1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
95.	बजीरगंज वार्ड-	बजीरगंज, गोरानगंज, सद्भग प्रसाद रोड, नवीउल्लाल रोड, हामिद चौह, वाग घोसी, जवाहर नगर, बुलन्दवाग, बालदखना	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
96.	बशीरतगंज वार्ड-	बशीरतगंज, रानीगंज, सराय दुर्कियगंज, युविजयगंज, त्रिपाली नगर, विष्णुपुरी, हसी नगर दुगवा, सुभाष मार्ग, नामाल से विरहाना पुल तक, दुर्कियगंज नाले तक, हाथी थाना, भूसा मण्डी, चरत मण्डी, डालखेम दोजान, इस्ती बटोन अमीनाबाद रोड (श्रीराम रोड घोराह रो नाका हिन्डोला घोराह तक)	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
97.	मवानीगंज वार्ड-	तुलसीदास मार्ग, पुराना हैदरगंज, मेहदीगंज, मवानीगंज, लोधपुरवा, सादिक भटेखा	1.75	1.50	0.80	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	
98.	याहियागंज वार्ड-	शेरवाली गली, भवाना सिंह शिवाला रोड, नाला बेगमगंज, याहियागंज रोड, मुर्तजा हुसैन रोड, लकड़मण्डी टाट पटटी, सिंधन बाली गली, चमरठोलिया, गाजीगण्डी, वाग लालजी, आंशिक कुञ्जरी रकाबगंज, घोसियाना, शास्त्री नगर, कुन्डरी ढालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
99.	संकटपुरवा वार्ड- प्रथम	अबरार नगर, गांधी नगर, कश्य विहार, नेडस विहार, कल्याणपुर, साकेत का पुरवा, मयूर विहार, बादरी नगर, शिवानी विहार, राजीव नगर, शादाव कालोनी, कमला नेहरू नगर, खुर्दमनगर, पन्त नगर, साकेत विहार सेकटर-7,8,9 विकास नगर, रोडतारा आपार्टमेंट, रिंग रोड	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
100.	नज़रदबान वार्ड-	फूलधार, नज़रदबान, बाईसी की भरिजद, तालाब भरानी शुकुल, नयागांव पूर्व	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
101.	अशोकवाद वार्ड-	चाजार, खाला, अशोकवाद, छाता चारीवें, शाहगंज, तकीमीर हाता, नवखास, खोखीटोला, सरायबाग, कटरा हैदर हुसैन, सरायहीय दलाली गोहलता, गलीपारदा, जीडी मोहल्ला, टकसाल फिरणी मोहल्ला	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102.	बाजारगांज बाई वार्ड-	अलीगढ़ योजना सेक्टर-जी, एच.आई.जे.एल. केन्द्रीय विशालय से कुर्ची रोड तक। 2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 0.60 0.40 0.30												
103.	विविकालन्दपुरी वार्ड-	ग्वार का पुरावा, उमराव छाता, छपरतला विवेकालन्दपुरी, फौजाबाद रोड आई.टी. बोराहे ये निवातगंज की ओर बाया हिस्सा, महानगर सेक्टर-ए एवं सी राम्पूर्ण पी.एण्ड टी. कालोनी एवं एफ.एस.एल. कालोनी, बड़ा चौदागंज आशिक, बी.डी. कालोनी 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15 2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 0.60 0.40 0.30												
104.	चौक काली जी बाजार वार्ड-	चौक रोड, कमला नेहरू मार्ग, घड़ियाली, लाजपत नगर, गोल दरवाजा, दहला कुर्ची, दूर्धी बाली गली, चौपही टोला, फूल बाली गली, बाग टोला, कलियन टोला, कटारी टोला, साँधी टोला, पुलभाग, धोबदारी मोहल्ला, पुरानी सड़ी मण्डी, गली हमाम, सरायतहसीन, बहुरन टोला, आरोही ट्रेड से. सुरगी टोला, नाई बाज़ा, चुनखुन जी रोड, बाग महानशगन, विर्जनण्डी, कृष्ण टीपर चन्द्रटेकरी, टोला, सराय माली खो 1 से 50 तक, दर्जी बगिया 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20												
105.	गढ़ी पीट खाँ वार्ड-	गढ़ीपीट खाँ, राम नगर, यासीनगंज, करोनगंज, रज्जुबगंज, बेदनटोला, भौजगंज नगर, नेपाटी टोला-1,2. दालाब झारियन, हाता गुरुदासगंल 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
106.	कुड़ी रकाबगंज वार्ड-	रकाबगंज कर्वीम, नादान महल रोड, टिकीगंज, नादान महल इटकी मोहल्ला, नवाबगंज, सराय आगामीर, कटरा, आजमदेग, फसवपुरा, विलीडपुरा, भदेवा आशिक चिकटोरियागंज 1.50 1.25 0.60 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
107.	मौताना कल्पे आविद-द्वितीय	चौक रोड, करमीरी मोहल्ला रोड, महमूद नगर, हसनपुरिया, मैदान इलाज खाँ, रस्तम नगर, कटरा बीजानदेग, रस्तम नगर टिकड़ी गुलाहन, हाता नूरदेग 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
108.	मौताना कल्पे आविद-द्वितीय	अब्दुल अजीज टोला, अराई टोला, अठीरी टोला, तकिया हाजी तुशरत, तकिया गीर देग, कटरा वफादेग, सीप दरवाजा, बंधुपा खाना, तकिया गुल्मू साह, कटरा गो, अली खाँ, कच्चा पुल 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
109.	गल्लाही टोला वार्ड-	बरफखाना, झारखड़खाना, भुसाहिबगंज, मुफ्तीगंज, हाता निर्जा अली खाँ, हुसीनाबाद द्रव्य रोड 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												
110.	राजा बाजार वार्ड-	खस्तबल बहियागंज, बरियायी टोला, थिडीमार टोला, राजा बाजार रोड, रसोगी टोला, पंजाबी टोला, हाताखान जामना, बाग गीलवी अनवर, सोबतिगाबाग, टैक्कीबाजार, राजा बाजार, बजारी टोला, पाटा भाजा, कंकड़ कुर्ची 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15												

नोट: जिन मोहल्लों/क्षेत्रों/बाड़ों का उल्लेख उपरोक्त सूची में नहीं है उनकी किराये की दरें सम्मिकट मोहल्लों/क्षेत्रों/बाड़ों की दरों के समान होगी।

नगर आयुक्त



नगर निगम, लखनऊ
आवासीय एवं अनावासीय भवनों के
सामान्य कर (हाउस टैक्स) की गणना हेतु दिशा-निर्देश

सामान्य कर (हाउस टैक्स) की गणना कैसे करें

1. रच-कर निर्धारण फार्म पुस्तिका में छपे प्रारूपों (प्रपत्र-‘क’, ‘ख’, ‘ग’, तथा ‘घ’) की छाया प्रति या जोन कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र का उपयोग करें। आवासीय भवन की दशा में “प्रपत्र-क” तथा अनावासीय भवन की दशा में “प्रपत्र-ग” का उपयोग करें।
 - 1B. आवासीय भवन की दशा में प्रपत्र-क पर भवन एवं भूमि का विवरण अंकित करें अनावासीय भवन एवं भूमि (वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें, प्रतिष्ठान, बैंक, होटल, कोर्चिंग, क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथलॉजी लैब, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, जिम, थियेटर, सिनेमागृह, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो, गोदाम, मॉल्स, पब्स बार, सामुदायिक नवन, कल्याण मण्डप, विवाह वलब, मैरिज लॉन, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, टावर व होटिंग बाले भवन, टी.वी. टावर दूरसंचार टावर इत्यादि) होने की दशा में प्रपत्र-ग पर भवन एवं भूमि का विवरण अंकित करें।
 2. फार्म भरने से पूर्व दिशा निर्देश एवं समस्त कॉलम ध्यान पूर्वक पढ़ें।
 3. भवन/भूखण्ड का नम्बर (नगर निगम/आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त नम्बर) प्रयोग करें।
 4. यदि भवन किराए पर उठा है तो निर्धारित कॉलम में इसकी सही सूचना दें तथा किराएदार का नाम अवश्य अंकित करें।
 5. समस्त भवन स्थानियों/अध्यासियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कॉलम में सही सूचनाएं अंकित करें। कोई भी सूचना/तथा छिपाएँ नहीं अन्यथा रेजिस्ट्रेशन जॉन में सूचना गलत माए जाने एवं किराएदारी छिपाए जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित थाने को दे दी जाएगी तथा नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।
- आवासीय भवन के कर की गणना-**
6. आवासीय होने की दशा में भवन के कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार करें :-
 - (अ) कमरे, ड्राइंग रूम, आच्छादित बरामदे का पूरा आन्तरिक क्षेत्रफल ($लम्बाई \times चौड़ाई$).....वर्ग फुट में
 - (ब) किचन, स्टोर, बालकनी, कॉरीडोर के आन्तरिक क्षेत्रफल ($लम्बाई \times चौड़ाई$) का 50%.....वर्ग फुट में
 - (स) गैराज के आन्तरिक क्षेत्रफल ($लम्बाई \times चौड़ाई$) का 25%.....वर्ग फुट में
 - (द) स्नानगृह, शैचालय, पोर्टिको, जीने से आच्छादित भाग की माप नहीं की जायेगी।

भवन का कुल कारपेट एरिया = अ + ब + स.....वर्गफुट

 7. स्वकर निर्धारण हेतु कारपेट एरिया आधारित क्षेत्रफल, आच्छादित एरिया आधारित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत होगी।
 8. निर्धारित मासिक किराया दर से कारपेट एरिया के योग को गुणा करें इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक मूल्य (Annual Value) प्राप्त होगा अर्थात्
- आवासीय भवन का वार्षिक मूल्य = निर्धारित मासिक किराया दर \times भवन का कुल कारपेट एरिया \times 12

9. यदि आप भवन में स्वयं रहते हैं (Self Occupied) तो वार्षिक मूल्य (AV) में निम्न को घटाएँ-
- (क)- दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में वार्षिक मूल्य (AV) का (-) 25%
 - (ख)- दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु वाले भवनों में वार्षिक मूल्य (AV) का (-) 32.5%
 - (ग)- बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में वार्षिक मूल्य (AV) का (-) 40%
10. यदि भवन किराये पर उठाया गया है (Tenancy पर है) तो उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य (AV) में जोड़ें-
- (क)- दस वर्ष तक आयु वाले भवनों पर 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25%
 - (ख)- दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना भवन है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5%
 - (ग)- बीस वर्ष से अधिक पुराना भवन है तो यथावत समझा जायेगा अर्थात् वार्षिक मूल्य में न तो कुछ घटाया जाएगा और न ही कुछ जोड़ा जाएगा।
11. (अ) अनावासीय भवन के कर की गणना-
- (क)- नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भवन हेतु निर्धारित अद्यतन मासिक किराया दर प्रतिवर्ग फुट
 - (ख)- नियमावली के नियम-4-क के उप नियम (2) में दिए गए अनुसूची के अनुसार अनावासीय भवन के स्वरूप के आधार पर आवासीय भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक गुना ($\times 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6$)
 - (ग)- अनावासीय भवन का सभी तलों के क्षेत्रफल को मिलाकर कुल आच्छादित क्षेत्रफल (Covered Area) वर्ग फुट
- अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य = (क) \times (ख) \times (ग) $\times 12$
- (ब) अनावासीय उपयोग वाली भूमि के कर की गणना निम्नवत करें-
- (क)- नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भूमि हेतु निर्धारित अद्यतन मासिक किराया दर प्रतिवर्ग फुट
 - (ख)- नियमावली के नियम-4(क) के उप नियम (2) में दिए गए अनुसूची के अनुसार अनावासीय भूमि के उपयोग के आधार पर आवासीय भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक गुना ($\times 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6$)
 - (ग)- भूमि का क्षेत्रफल वर्ग फुट
- अनावासीय उपयोग वाली भूमि का वार्षिक मूल्य = (क) \times (ख) \times (ग) $\times 12$
- (स)- अनावासीय परिसर का कुल वार्षिक मूल्य = अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य +
- अनावासीय भूमि का वार्षिक मूल्य
12. सामान्य कर (गृह-कर) :- उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत सामान्य कर होगा।
13. प्रोत्साहन: [(नियम 4-ग (6))] :-
- (घ) अनावासीय भवनों के वार्षिक मूल्य में 2% छूट हेतु निम्नलिखित सूचना दें-
- (i) क्या भवन में वर्षा जल संचयन की प्रणाली संस्थित है एवं प्रचलन में है (हौं / नहीं)
 - (ii) क्या भवन एवं भूमि के कुल क्षेत्रफल का 40 % भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित है (हौं / नहीं)

भवन के नामान्तरण (स्पूटेशन) की प्रक्रिया

नगर निगम अभिलेखों में दर्ज भवन / भूमि व्यापी की सूची डाँ जाने, पंजीकृत विक्रय नाम (Registered sale deed) वालीयत, पंजीकृत दानपत्र (Registered gift deed) हिस्सा वा न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप अपनी वा नामान्तरण (स्पूटेशन) अनिवार्य है।

इस नगर निगम सीमा में निवास करने वाले सभी भवन एवं भूमि स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उनका कारणों से भवन/भू-स्वामित्व ने जनरल डॉक्यूमेंट की स्थिति में, निर्धारित नामान्तरण शुल्क जमा करा कर नगर निगम अभिलेखों में नाम परिवर्तन (स्पूटेशन) कराये कर से। इससे अनेक प्रकार के विवादों एवं विस्तारियों से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक रूप से जनरल की एसीद अनेक विभागों में भवन स्वामी/अध्यात्मी एवं निवास के प्रमाण हेतु वैकल्पिक तरफ से भवन के संवित्रित किए जाते हैं।

नामान्तरण हेतु आवेदन सम्बन्धित व्यक्ति ने दाखिल किए जाने तथा निर्धारित नामान्तरण शुल्क जमा किए जाने के एक सप्ताह के अन्दर जोनल डॉक्यूमेंट द्वारा सम्बन्धित पक्षों को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए रा. प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा - 213 (ख) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाता है। यदि एक माह में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो नामान्तरण का अन्तिम आदेश पारित कर दिया जाता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो जनरल की समीक्षाओं द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है।

नागरिकों/भवन स्वामियों की सुविधा के लिए नामान्तरण हेतु आवेदन किए जाने का प्रारूप निम्नका है:-
नगर निगम जोनल डॉक्यूमेंट में सूची - का दुष्कालन कर प्राप्त किया जा सकता है:-



मूल्य : रु. 20/- मत्र

क्रम सं0.....

नगर निगम लखनऊ

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) हेतु आवेदन-पत्र

राज्य नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-213 (ख) के अन्तर्गत

सेवा नं.

जनरल डॉक्यूमेंट जॉन.....
नगर निगम लखनऊ

आवेदक अपनी
राजीन
पासपोर्ट साहज
की अद्यतन कोटो
यहाँ चिपकायें।
यदि आवेदक एक से
अधिक है तो
सभी आवेदकों
की कोटो लगायी।

शेष भाग अगले पृष्ठ पर

विषय : भवन के नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के सम्बन्ध में।

महोदय

प्रार्थी/प्रार्थिनी भवन संख्या.....स्थित मोहल्ला.....
वार्ड.....के सम्पूर्ण/जुज भाग पर निम्नलिखित कारण से अपना नाम नगर निम्न अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता/चाहती है। उबत भवन का अब तक का गृहकर पूरा जमा है। प्रार्थी/प्रार्थिनी उक्त भवन का निर्धारित नामान्तरण शुल्क नगर निगम कोष में टक्करल जमा करने को तैयार है।

नामान्तरण का कारण

1. दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर
2. पंजीकृत विक्रयनामे के आधार पर
3. वसीयत
4. पंजीकृत दानपत्र (गिफ्ट डीड)
5. पारिवारिक समझौते के आधार पर
6. न्यायालय के आदेशानुसार
7. हिलानामे के आधार पर

साक्ष्य

1. उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी सजरा, शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2. रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
3. वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
4. गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
5. खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति के साथ शपथ-पत्र संलग्न है।
6. न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
7. शपथ-पत्र संलग्न है।

अतः भवन संख्या.....

स्थित मोहल्ला.....

वार्ड.....पर उपरोक्त में से टिक किए गए कारण के आधार पर दर्ज नाम.....को खारिज करके संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी/प्रार्थिनी.....का नाम दर्ज किया जाय।

उपरोक्त वर्णित तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी की जानकारी में घिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी/प्रार्थिनी का होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नामान्तरण (दाखिल खारिज) की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का गृह कर आदि अपने नाम से जमा कर सके।

संलग्नक :-

प्रार्थी/प्रार्थिनी

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

पूरा पता

फोन/मोबाइल नं.



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'क' (नियम-7 देखिए)

आवासीय भवन हेतु सम्पत्ति कर स्वः - निर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 207-क)

- क-** (एक) स्थानी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्थानी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
 (तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/मकान/प्लट/भूखण्ड रखा
 अपार्टमेंट एवं सड़क का नाम
 मुहल्ले का नाम वार्ड का नाम
 (चार) स्थानी/अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्त से मिल न हो)
 (पाँच) भवन या भवन का कोई भाग किराये पर उठा है (हाँ/नहीं)
 यदि भवन किराए पर उठा हो तो किराएदार का नाम
ख- निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा
 (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदी
 का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
 (दो) समस्त गालकनी, कॉरीडोर, रसोई और
 बण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
 (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
 (वर्ग फुट में)
 टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा
 आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

- ग-** भवन का कारपेट एरिया :-
 = ख (एक)+1/2 ख (दो)+1/4 ख (तीन) वर्ग फुट

स्थानी

वर्ग फुट

तर्म फुट

1. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
वर्ग फुट
2. आच्छादित क्षेत्रफल का 80 % =
तर्म फुट

टिप्पणी- आच्छादित क्षेत्रफल का 80 % कारपेट एरिया के समतुल्य माना गया है

- घ-** (एक) नूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)
 (दो) नूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोइ भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

- ङ-** (छ) भवन अपस्थित है।

- (१) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (२) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (३) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (i) पक्का भवन आर.सी.री. छत या आर.बी.छत सहित
- (ii) अन्य पक्का भवन एस्वेस्टस/फाइबर या टीनशेड
- (iii) कच्चा भवन अर्थात् रामरत अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (i), (ii) या (iii) के कालम में जो भी सही हो उसमें सही (✓) का निशान लगाये।

च- नहन या भूमि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित है या किराये पर है

नोट: किराएदारी छिपाना गम्भीर अपराध एवं करापवचन की श्रेणी में माना जाएगा।

टिप्पणी :- यदि भवन एक वर्ष से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे 'रिक्त' उल्लिखित किया जायेगा।

छ- भवन के निर्माण का वर्ष

ज- (एक) नगर आयुक्त द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये प्रति वर्षाहुत।
 (दो) नगर आयुक्त द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो रुपये प्रति वर्ष कट।

झ- (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भवन का कारपेट दरिया = $12 \times$ ज (एक) \times ग

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो = $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भूमि का क्षेत्रफल = $12 \times$ ज (दो) \times घ (दो)

झ- (एक) भवन स्वामी के स्वयं अध्यासित होने की वशा में भवन का मूल्य द्वारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्
 (दो) भवन के किराये पर होने की वशा में भवन का वार्षिक मूल्य द्वारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्

द- भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100 (15%)

झ- भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर की दर / 100 (15%)

झ- नगर आयुक्त द्वारा कर जमा करने के लिए नियत दिनांक

झ- जमा किये गये कर का विवरण :-

क्रम सं.	कर	धनसाशि	दिनांक	परीद संख्या	कार्यालय/जोन का नाम
1.	सामान्य कर				

● भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले घार पहिया वाहनों की संख्या

सत्यापन - मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वनूल्पाकाग विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यावे मेरी जनकारी को अनुसार तथ्य और पूर्ण है।

दिनांक _____

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणक (राक्षी)

पूरा नाम

हस्ताक्षर

स्थायी पता

नाम

पिन कोड

पिता का नाम

दुरुआप/मोबाइल नं.

पूरा पता

ई-मेल



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'ख'

(नियम- 3 देखिए)

आयासीय भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सुचना प्रदान करने के लिए

- क- (एच) स्वामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/माति का नाम
 (तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/मकान/फ्लैट/भूखण्ड संख्या
 अपार्टमेंट एवं संख्या का नाम
 मुहल्ले का नाम, वार्ड का नाम
 (चार) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्ता से जिन्हें हो)
 (पाँच) भवन या भवन का कोई नाम किराये पर उठा है (हाँ/नहीं)

ख- विचलिति वित का भवन सञ्चाली और

- (एक) समस्त कमरों और आचारित बरामदों
का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(दो) समस्त बालकनी, कैरेडीडोर रसोई और
भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
(घर्मी फुट में)

टिप्पणी - स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग)- भवन का करपेट एसिया :-

= चार (एक)+1/2 ख़ (दो)+1/4 ख़ (तीन)

ये (एच) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है

(खनी फूट में)

(d) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई
अवृत्त निर्मित न हो (वर्ग कुट में)

कृ- (अ) भद्र अवस्थित है।

24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(३) भाषन के विर्याण की प्रकृति

२५ वर्ष के बाद, जाति-सी. छत या आर.वी.छत सहित

(iii) अन्य प्रकार नवन, एस्टेलट्स/फाइबर या लीनशोड

(iii) वास्तविक समस्त अन्य भवन जै (एक) और

(२) ये अस्त्रादिव नहीं हैं।

- (ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है
- (i) 24 मीटर से अधिक की ऊँड़ाई वाले मार्ग पर
- (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की ऊँड़ाई वाले मार्ग पर
- (iii) 12 मीटर से कम ऊँड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (i), (ii) या (iii) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही (✓) का निशान लगाये।
च- भवन या भूमि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित है या किराये पर है।

नोट:- किराएदारी छिपाना गम्भीर अपराध एवं करापवंचन की श्रेणी में माना जाएगा।

टिप्पणी :- यदि भवन/भूमि एक वर्ष से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि भवन/भूमि एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे "रिक्त" उल्लिखित किया जायेगा।
छ- भवन के निर्माण का वर्ष

- भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले घार पहिया वाहनों की संख्या

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्याकान थिवरण में प्रस्तुत किये गये और मरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य

और पूर्ण हैं।

दिनांक _____

अनुप्रसारण (साक्षी)

इस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पूरा पता

हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थायी पता

पिन कोड

दूरभाष/मोबाइल नं.

ई-मेल



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'ग' (नियम-७ देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में
सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

- क-** (एक) उमामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्त्रीमी/अध्यासी के पिता/पाते का नाम
 (तीन) भवन / भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता :-
 भवन / भूखण्ड संख्या खंडक का नाम
 मुहरसे का नाम नाहे का नाम
 (चार) उमामी/अध्यासी का स्थायी पता (यादि उक्त से भिन्न हो)
 (पाँच) अन्य विवरण यदि कोई हो
 (छठ) यदि भवन या भवन का कोई नाम/नूने किराए पर उठा हो तो विशेषज्ञ का नाम
2- भवन या भूमि उन्नती व्यापा
- (एक) भवन का आधारित लेजल (वर्गीकृत में)
 (दो) खुली भूमि या सुखाव का लीफल (वर्गीकृत में)
 (तीन) अनावासिय भवन/प्रतिकृति/कार्यालय/उत्थान का प्रचलित नाम

3- अवस्थिति का विवरण-

- (क) भवन या भूमि अवस्थित है-
- (एक) 24 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले नारे पर
 (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की ऊँचाई वाले नारे पर
 (तीन) 12 मीटर से कम ऊँचाई वाले नारे पर
- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
- (एक) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.सी. छत सहित
 (दो) अग्र यक्षा भवन ऐवेस्टर्स/फाइबर या टीनशेड
 (तीन) कठ्ठा भवन अथवा समरत अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आधारित नहीं है।

टिप्पणी: कृपया प्रयोग्य खाने में सही (✓) का निरान लगायें।

4- भवन निर्माण का वर्ष

5- पूर्ण निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष

6- वार्षिक मूल्य की गणना

अनावासीय सम्पत्ति का स्वरूप/विवरण

(क) अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य

(दो) नार का दुनिया आवासिक भवन है तो नियत किराया का मासिक दर दरमें

(तीन) अनावासीय भवन के स्वरूप के आधार पर नियमावली द्वारा विहित (जग्नुसूती में तर्किलित)

वार्षिक भवन की दर के समन्वय में पूणक

(चार) अनावासीय भवन का प्रति वर्ष किराये का मासिक दर (एक) ✗ (दो)] दरमें

(पाँच) नार का अन्यायी किराया (सभी तर्कों विहित)

(छठ) अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य = (वार्षिक दर) ✗ आधारित संज्ञान ✗ 12

(सात) अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य = भवन (तीन) ✗ (यार) ✗ 12

(आठ) अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य = (एक) ✗ (दो) ✗ (यार) ✗ 12

(x) भूमि का वार्षिक मूल्य-

- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियमत किराये की मासिक दर प्रति घरफुट
 (दो) भूमि के उपर्योग के अधार पर नियमावली द्वारा नियमित भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक गुना
 (तीन) भूमि [(एक) \times (दो)] के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर प्रति घरफुट
 (चार) भूमि का क्षेत्रफल घरफुट
 (पाँच) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये का मासिक दर \times आवासित क्षेत्रफल \times 12
 अर्थात् (तीन) \times (चार) \times 12

(vi) कुल वार्षिक मूल्य = भवन का वार्षिक मूल्य + भूमि का वार्षिक मूल्य गुणत क (पाँच) + च (पाँच)

प्रोत्साहन: (नियम 4-ग) :-

(vii) अनावासीय भवनों का वार्षिक मूल्य में 2% छट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित सूचना है-

- (i) यथा भवन में पांच जल संचयन की प्रणाली संरचित है एवं प्रचलन में है (हाँ / नहीं)
 (ii) यथा भवन एवं भूमि के कुल क्षेत्रफल का 40 % भाग दृश्यारोपण या हसियाली द्वारा आचारित है (हाँ / नहीं)
 (iii) यथा भवन एवं भूमि में समुचित एवं पर्याप्त पार्श्वांग हेतु स्थान उपलब्ध है (हाँ / नहीं)
 (iv) यथा भवन में ऐसा आवार / विनियोग या ऐसा कार्यकलाप होता है जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है (हाँ / नहीं)
 (v) यदि यिन्हें (iv) का उत्तर हो है तो यथा प्रदूषणरोधी उपाय अपनाए गए हैं (हाँ / नहीं)

नोट:-

- (1) उपर्युक्त छट उपलब्ध होने के उल्लिखित सुविधाओं और संपादी विद्यमानला तथा उनके उचित रुद्ध-रखाव का स्तरायन करने के पश्चात वर्धमूल्य अधार पर प्रदान की जाएगी।
 (2) उक्त यिन्हें (v) में सन्तुष्टिप्रद ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2% की वृद्धि को जाएगी जिसमें स्वप्रशमानुसार पांच जल संचयन / समुचित दृश्यारोपण हसियाली / समुचित एवं पर्याप्त पार्श्वांग / प्रदूषणरोधी उपाय न किए गए हैं।

7- कर की संख्या

- (एक) सामान्य कर (मुहरकर) - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 15%
 (दो) गल कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 12.5%
 (तीन) सीधर कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 3%
 (चार) अन्य कर (कर-बा नाम) - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times कर की दर

8- जमा किये गये कर का विवरण-

क्र.सं.	कर का नाम	कर की धनराशि	स्थीर संख्या	दिनांक	कार्यालय/ज़ोन का नाम
1	2	3	4	5	6
	सामान्य कर				

*भवन स्वामी/अध्यात्मी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फूट्याथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या सत्यापन

मेरे गढ़ के मुहल्ला ने स्थित

भवन सं० का स्वामी/अध्यात्मी एवंदृष्टा घोषित करता है कि इस प्रबन्ध में प्रस्तुत किये गये व्यापर में सहीत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूरी है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न ला लिया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक हस्ताक्षर

अनुप्रयोगक (साड़ी)

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पता



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र घ (नियम-३ देखिए)

अनावासिक भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र

- क- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
 (तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/भूखण्ड स्थित
 सहक का नाम
 शुहले का नाम वार्ड का नाम
 (चार) स्वामी/अध्यासी का लाली पता (यदि उक्त से भिन्न हो)

 (पाँच) यदि भवन या भवन का कोई नाम/भूमि किसाये पर उठा है तो किसाएँ दार का नाम

2. भवन या भूमि का विवरण-

- (एक) इन का आवश्यक लंबाई लेंगफल (वर्गफुट में)
 (दो) चूसी भूमि या भूखण्ड का लंबाई लेंगफल (वर्गफुट में)
 (तीन) अन्यायी भवन/प्रतिष्ठान/कार्यालय/संस्थान का प्रचलित नाम

3- अवस्थिति का विवरण-

(क) भवन या भूमि जबरियत है-

- (एक) 24 नीटर से अधिक की छोड़ाई वाले मार्ग पर
 (दो) 12 नीटर से 24 नीटर तक की छोड़ाई वाले मार्ग पर
 (तीन) 12 नीटर से कम छोड़ाई वाले मार्ग पर
 (च) भवन के निर्माण की छवृति

- (एक) पहला भास्त जातकीय छत या जातकीय छत राहित
 (दो) अन्य भवन का भास्त इलेक्ट्रिस या टीवीशैड
 (तीन) जातकीय भवन जबरियत वाला अन्य भवन जो (एक) और (दो) में जातकीय नहीं है।

टिप्पणी : कृपया प्रयोग्य खाले में सही (✓) का चिन्ह लगाये।

4- भवन निर्माण का वर्ष _____

5- दूरी निवासियां सार्विक सूचना और निवासियां वर्ष _____

*कठल लगाने : अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले बार पहिया वाहनों की संख्या

सत्यापन

मेरे गोड़ के मुहल्ले के स्थित भवन से जा रही/अव्यासी एवं द

द्वारा घोषित करता है कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये व्यारे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्भूत किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही निष्पात्र उल्लिखित किया गया है।

दिनांक		हस्ताक्षर	
अनुप्रगाणक (साथी)		पूरा नाम	
हस्ताक्षर		स्थायी पता	
नाम			
पिता का नाम		पिन कोड	
पूरा पता		दूरभाष / गोधाहल नं.	
		ई-मेल	